न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 06/2010

प्रार्थी
सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, आबूरोड ।

बनाम

अप्रार्थी
1.श्री जितेन्द्र पुत्र श्री दलाराम जाति सुथार निवासी सिरोही मालिक गुरुकृपा मोटर गेराज सिरोही–मण्डार हाईवेरोड सिरोही।
2.श्री पुखराज पुत्र श्री अचलचंद जैन निवासी सिरोही मैनेजर सोनालिका ट्रैक्टर्स, सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–
1. श्री , सहायक लोक अभियोज अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. अप्रार्थीगण स्वयं।

निर्णय

दिनांक 03.05.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.06.2009 को जिला रसद अधिकारी सिरोही के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक, सिरोही द्वारा अप्रार्थी के गैराज गुरुकृपा मोटर गैराज सिरोही पर जांच करने पहुंचने पर वहां पर एच.पी. कम्पनी के तीन एवं वल्लभ कम्पनी का एक घरेलू गैस सिलेण्डर के पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त चार गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था। उक्त प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2009 को निर्णित हो चुका था जिसकी अपील अपर सैशन न्यायाधीश सिरोही को की गई। अपर सैशन न्यायाधीश सिरोही द्वारा उक्त निर्णय अपास्त किए जाने से पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त चार गैस सिलेण्डर को निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन करते हुए गैस सिलेण्डर वापस दिलवाए जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 20.06.2009 को श्री केसरीसिंह पुत्र श्री शंकरसिंहजी देवड़ा निवासी सिन्दरथ जो विकलांग व्यक्ति था और कहा कि यह सिलेण्डर आपके कार्यालय में रख कर जा रहा हूं। दूसरा सिलेण्डर अप्रार्थी स्वयं का था। अप्रार्थी स्वयं का घर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सिलेण्डर खाली नहीं हुआ था जिसके कारण उसका भरा हुआ सिलेण्डर उनके कार्यालय में पडा हुआ था। तीसरा सिलेण्डर श्री अशोक कुमार पुत्र पदमाराम जी सुथार निवासी पाडीव का था और श्री अशोक को उसी दिन नया कनेक्शन मिला, जो उक्त सिलेण्डर को अप्रार्थी के कार्यालय में रखकर चला गया। अप्रार्थी ने उक्त सभी सिलेण्डरों की गैस डायरियां प्रस्तुत की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कब्जे सरकार लिए गए सभी सिलेण्डर उनके मालिकी स्वामित्व के है जिन्हें उन्हें वापस दिया जाने का आदेश प्रदान करावें।

मैने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा चार घरेलू गैस सिलेण्डरों 14.2 किलो का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। वल्लभ कम्पनी एक निजी कम्पनी है जिसका एक सिलेण्डर कब्जे सरकार नहीं लिया जाना चाहिए था। अतः कब्जे सरकार लिए गए वल्लभ कम्पनी के गैस सिलेण्डर को पुनः लौटाए जाने के आदेश दिए जाते है। जहां तक अप्रार्थी का कथन है कि शेष तीन घरेलू गैस सिलेण्डर में से एक सिलेण्डर उनका स्वयं का एवं अन्य दो व्यक्तियों क्रमशः श्री केसरसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह देवडा एवं श्री अशोक कुमार पुत्र श्री पदमाराम के थे। अप्रार्थी द्वारा इसके सम्बन्ध में उनकी गैस डायरियां भी प्रस्तुत की गई है। चूंकि अप्रार्थी ने कब्जे सरकार लिए गए घरेलू गैस सिलेण्डरों की गैस डायरियां बाद में प्रस्तुत की है। अतः उक्त प्रकरण यह पता लगाना मुश्किल है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई गैस डायरियां कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की ही थी।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध सद्भावनापूर्ण रूख अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गये 3 घरेलू गैस सिलेण्ड़रों को उनके मालिकी का होने से अप्रार्थी को स्थाई रूप से उन्हें लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। उपभोक्ताओ द्वारा इनका उपयोग केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3/2 का उल्लघंन किया जाना नही पाया जाता है । जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी सिरोही को निर्देश दिए जाते है कि उपभोक्ताओं को दिए गए गैस सिलेण्ड़रों की रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत कर गैस कम्पनी से उपभोक्ताओं की डायरियों में अंकन कराकर फोटोकॉपी प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2021 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner